न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत शिविर बिजौलियां केम्प
बिजौलियां खुर्द बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः–37/2013 दायर तारीख 10.08.2013

अनवान

भोजा पिता हुकमा जाति अहीर उम्र बालिग निवासी तिलस्वा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा।

.....वादी

बनाम

1. मांगीलाल पिता हुकमा जाति अहीर उम्र बालिग निवासी तिलस्वा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा।
2. गोपाल पिता मांगीलाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी तिलस्वा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा।
3. घीसू पिता मांगीलाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी तिलस्वा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री दिनेश तम्बोली अधिवक्ता–वादी
श्री मोहनलाल जोशी अधिवक्ता –प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय:: दिनांक :– 04.05.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तिलस्वा प0ह0 तिलस्वा तहसील बिजौलियां की शरहद में स्थित आ0न0 571 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व सोहनी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर वादी अपने 1/3 हक हिस्से पर बरसों से काबिज होकर निरन्तर शांति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का हक अधिकार नही होते हुये भी आये दिन वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते रहते है रोक टोक करते है काश्त नही करने दे रहे है। प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि में हकाई नही करने दे रहे है। वादी को अपने हक हिस्सा 1/3 पर काश्त नही करने दे रहे है। उक्त भूमि में विवाद उत्पन्न कर रहे है। जबकि उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व सोहनी का 1/3 हक हिस्सा है परन्तु प्रतिवादीगण सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने की बदनियत से दिनांक 10.06.2013 को वादी अपने हक हिस्से की भूमि की हकाई करने हेतु गयातो प्रतिवादीगण ने लडाई झगडा किया एंव उक्त भूमि की हकाई करने से मना कर दिया जबकि उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादी का 1/3 हक हिस्सा होकर अपने 1/3 हिस्सेनुसार बरसों से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी के हक हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का हक अधिकार नही होते हुये भी जबरन पाश्विक बल के आधार पर जबरन कब्जा करने पर आमदा है। वादी के कब्जे काश्त की भूमि में दिनांक 10.06.2013 को प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने वादी के साथ लडाई झगडा किया और प्रतिवादीगण ने कहा कि उक्त भूमि जबरन कब्जा करने व उक्त भूमि काश्त नही करने की धमकी दी प्रतिवादीगण जबरन उक्त भूमि पर कब्जा कर वादी को बेदखल करने पर आमदा है। वादी ने अनुतोष चाहा कि ग्राम तिलस्वा प0ह0 तिलस्वा तहसील बिजौलियां की शरहद में स्थित आ0नं0 571 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा जो वादी के 1/3 हक हिस्से की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें, रोक टोक नही करें, जबरन बेदखल नही करें, ना अन्य से करावें, इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरुद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे व अन्य दाद

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी को तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण 1 से 3 की और से भी श्री मोहनलाल जोशी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अधिकार पत्र मय जवाबदावा प्रस्तुत किया।

जवाबदावे में प्रतिवादीगण ने अंकित किया कि कृषि भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 1 एंव सोहनी के नाम खाते दर्ज है तथा उक्त कृषि भूमि का बंटवारा वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ने काफी वर्षो से कर रखा है तथा उक्त कृर्षि भूमि पर वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 – 1/2 हिस्से पर कब्जा है। उक्त बटवारे के अनुसार कुल रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि के आधे भाग पर कब्जा प्रतिवादी का है तथा शेष आधे भाग पर वादी का कब्जा होकर स्वयं वादी ने पत्थरो की कच्ची दिवार कर रखी जिस पर केवल वादी की काबीज होकर किसी तरह का कोई विवाद नही है। तथा वादी उक्त कृर्षि भूमि के 1/3 भाग पर काबिज नही होकर 1/2 भाग पर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपने हिस्से शुदा भाग पर हर वर्ष काश्त की जा रही है। जबकि वादी ने स्वयं के कब्जे शुदा कृर्षि भूमि को काफी वर्षो से पडत ही रख रखा है। जिस पर किसी तरह की काश्त नही की जा रही है। वादी ने स्वयं की कृर्षि भूमि पर पत्थरों की दिवार लगाकर अलग से कब्जा कर रखा है जिस पर वादी काफी वर्षो से काबिज है। ऐसी स्थित में प्रतिवादी द्वारा वादी के कब्जे शुदा कृर्षि भूमि पर कब्जा करने का कोई प्रश्न ही शेष नही रहता है तथा वादी एंव प्रतिवादी में दिनांक 10.06.2013 को कोई विवाद ही नही हुआ। वादी ने उक्त विवादित कृर्षि भूमि के 1/2 भाग पर काफी वर्षो से कब्जा कर रखा जिसके चारो और पत्थरों की दिवार कर रखी है। जिस पर प्रतिवादी ने कभी हक अधिकार नही जताया तथा वादी स्वयं उक्त कृर्षि भूमि पर काश्त नही कर रहा है। वादी एंव प्रतिवादी स्वयं के कब्जे शुदा भाग पर काबिज है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा वादी को बेदखल करने की कोई सम्भावना शेष नही रहती है। विशेष कथन में अंकित किया कि आ0नं0 571 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि की विधीक खातेदार सोहनी पुत्री हुकमा अहिर है जिसका उक्त कृषि भूमि पर 1/3 हिस्सा निहित है। जिसे वादी ने पक्षकार नही बनाया है किन्तु उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। पक्षकार नही बनाया जाना विधी विरुद्ध है वादी और प्रतिवादी के बीच केवल मौखिक बटवाडा कर रखा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में बटवाडा अंकित नही है ऐसी स्थिति में वादी द्वारा 1/3 भाग पर कोई अनुतोष मांगना विधी विरुद्व होकर वादी का वादपत्र शुन्य प्रभावी होकर खारिज योग्य है।

वादी उक्त कृर्षि भूमि के 1/3 भाग पर काबिज नही होकर 1/2 भाग पर काबिज है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा गलत तथ्य अंकित कर वाद पत्र पेश किया। वादी जब स्वयं की कृर्षि भूमि के चारो तरफ कच्चे पत्थरों की दिवार लगाकर काबिज है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा कोई दखलन्दाजी करने की सम्भावना ही शेष नही रहती है तथा बिना कोई वाद कारण प्रतिवादी के विरुद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना विधी विरुद्व होगा। वादी स्वयं की कृर्षि भूमि पर काफी वर्षो से काबिज है तथा राजस्व रिकार्ड में कोई बटवारा नही किया गया ऐसी स्थिति में वादी को असहनीय अति होने की कोई सम्भावना शेष नही रहती है। दिनांक 10.06.2013 को वादी एंव प्रतिवादी के मध्य कोई विवाद ही नही हुआ तो ऐसी स्थिति में कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है। उक्त आ0नं0 571 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि की विधीक खातेदार सोहनी पुत्री हुकमा अहीर है जिसका उक्त कृर्षि भूमि में 1/3 हिस्सा निहित है जिसे वादी ने पक्षकार नही बनाया है किन्तु उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा उसके हक की कृर्षि भूमि पर काबिज होने से उसे आवश्यक पक्षकार नही बनाया जो विधी विरुद्व है तथा बिना पक्षकार बनाये उक्त प्रकरण का निस्तारण नही हो सकता है। उक्त प्रकरण में वादी एंव प्रतिवादी के बिच केवल मौखिक बटवारा कर रखा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में बटवारा अंकित नही है ऐसी स्थिति में वादी द्वारा 1/3 भाग पर कोई अनुतोष मांगना विधी विरुद्व होकर वादी का वाद पत्र शुन्य प्रभावी होकर खारीज योग्य है।

अधिकारी

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, प्रस्तुत किया है।

प्रतिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है।

वादपत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया कि तिलस्वा में स्थित आ0नं0 571 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि में वादी का 1/3 हिस्से का खातेदार होकर 1/3 हिस्से में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रोक टोक कर रहे है। जबरन बेदखल कर रहे है जिन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है।

.....जिम्मेवादी

2. आया कि वादी व प्रतिवादी का 1/2 व 1/2 हक हिस्से पर काबिज है।

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

3. आया कि वादी व प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का मौखिक बटवारा कर रखा है।

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

4. आया कि वादी को किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नही हुआ।

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

शहादत में वादी/प्रतिवादी ने किसी प्रकार की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। जिससे तनकीवार विवेचन नही किया जाकर प्रकरण का शिविर में दिनांक 01.05.2018 को ग्राम पंचायत तिलस्वा में पक्षकारान के उपस्थित नही होने से निस्तारण नही हो सका पुनः शिविर ग्राम पंचायत बिजौलियां खुर्द में प्रकरण को वास्ते निस्तारण हेतु मेरीट पर रखा जाकर अवलोकन किया गया।

प्रकरण में बहस उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की सूनी गई।

वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्य व प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों का विस्तार से विवेचन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि वादी ने केवल वाद प्रस्तुत किया है। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत साक्ष्य को प्रदर्श नही करवाया गया। प्रदर्श के अभाव में वाद पत्र में अंकित तथ्य सिद्व नही हो सकते। वादपत्र वादी खारिज कराना फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया।

वादी को प्रस्तुत वादपत्र सिद्व कराने हेतु 2 वर्ष का समय दिया जाने के पश्चात भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने से साक्ष्य के अभाव में वादपत्र में सलग्न दस्तावेजात प्रदर्श नही कराया जा सका जिससे दसतावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज योग्य है। प्रकरण में सहखातेदार के बिच दखन्दाजी का वाद पत्र प्रस्तुत किया है। वादी ने 1/3 हिस्से की दखलन्दाजी चाही है। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से खातेदारो के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन नही हुआ है। संयुक्त खाते की भूमि होने से वादी/प्रतिवादी के बीच वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद चलने योग्य नही है।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वाद पत्र वादी अन्तर्गत धारा 188 रा0टि0एक्ट खारिज किया जाता है। डिक्री मुताबिब हो।

आदेश आज दिनांक 04.05.2018 को मुकाम लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

04/05/18

उपखण्ड अधिकारी